



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 पौष 1946 (श10)

(सं0 पटना 65) पटना, बृहस्पतिवार, 16 जनवरी 2025

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

16 जनवरी 2025

अधिसूचना संख्या 02/2025-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 51 दिनांक 16 जनवरी 2025—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम-12, 2017) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या -2/2017 राज्य-कर (दर) दिनांक 29 जून, 2017 जिसे बिहार गजट असाधारण अंक 545 दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची में, क्रम संख्या 105 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

"105ए.	30	जीन थेरेपी";
--------	----	--------------

(ख) खंड (ii) और उसके परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(ii) 'प्री-पैकेज्ड और लेबल' वाक्यांश का अर्थ सभी वस्तुएं जो खुदरा विक्री के लिए है और जिनमें 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक नहीं है, जो विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 2 के उपधारा(1) में परिभाषित की गयी परिभाषा के आधार से प्री-पैकड हो किया

गया है, जहां विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत किये गए पैकेज जिसमे वस्तु जो पहले से पैक किया गया है या उसपर सुरक्षित रूप से चिपके हुए लेबल का घोषणापत्र वहन करना आवश्यक है।”.

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[(सं० सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-20)02)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार सिंह,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

16 जनवरी 2025

एस० ओ० 51 दिनांक 16 जनवरी 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-20)02)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार सिंह,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 16th January 2025

Notification No 02/2025- State Tax (Rate)

S.O. 51 Date 16 January 2025- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12 of 2017), the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification no. 2/2017-State Tax (Rate), dated 29.06.2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide no. 545, dated 29.06.2017, namely:-

In the said notification, -

- (a) in the Schedule, after S. No. 105 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

“105A.	30	Gene Therapy”;
--------	----	----------------

- (b) in the Explanation, for clause (ii) and proviso appended to it, the following clause shall be substituted, namely:-

“(ii) The expression ‘pre-packaged and labelled’ means all commodities that are intended for retail sale and containing not more than 25 kg or 25 litre, which are ‘pre-packed’ as defined in clause (l) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) where, the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder.”.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-20) 02)]

By the order of Governor of Bihar,

SANJAY KUMAR SINGH,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 65-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>